रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2012/कार्तिक 4, 1934
No. 552] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2012/KARTIKA 4, 1934

रक्षोपाय महानिदेशालय

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद कर

रक्षोपाय जांच शुरुआत का नोटिस

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2012

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

विषय : सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान तथा आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16 और 18 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (4) के उपबंधों के अंतर्गत भारत में थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) के आयातों पर लगे रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा के संबंध में

सा.का.नि. 793(अ).—रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा करने और उसकी समयावधि बढ़ाने के लिए प्रस्तुत आवेदन मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु, मैसर्स आई जी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र, मैसर्स मैसूर पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, रायचूर, कर्नाटक, द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत भारत में थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) के आयातों पर लगे रक्षोपाय शुल्क को उसकी निरंतरता बनाए रखने/उसका समय विस्तार करने का अनुरोध करते हुए मेरे समक्ष दायर किया गया है जिससे कि घरेलू उद्योग भारत में थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) के आयात की बढ़ती मात्रा के कारण होने वाली क्षति या क्षति की चुनौती का सामना करने में सक्षम हो सके ।

2. **घरेलू उद्योग :** थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) के बढ़ते आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने/उसका समय बढ़ाने के लिए यह आवेदन पत्र मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु, मैसर्स आई जी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र, मैसर्स मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, रायचूर, कर्नाटक द्वारा दायर किया गया है । उक्त घरेलू उत्पादकों

द्वारा उत्पादित समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्षः प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक आउटपुट भारत में थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (88 प्रतिशत) बनता है।

3. **अन्तर्ग्रस्त उत्पाद :** विचाराधीन उत्पाद थैलिक एनहाइड्राइड है। यह थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है और यह आर्थो-जाइलीन या नेफ्थालीन का कैटालिटिक आक्सीकरण करके वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है। यह रंगहीन, ठोस है, जिसे थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यून), थैलिक एसिड एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि नामों से जाना जाता है। इस उत्पाद का केवल एक ग्रेड में उत्पादन किया जाता है। हालांकि इसका ठोस या तरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न अनुप्रयोगों के संबंध में इसके विभेदकारी विभिन्न प्रकार या रूप नहीं होते हैं। यह विभिन्न रसायनों की उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है जो थैलिक एनहाइड्राइड की एक ही क्वालिटी का प्रयोग करते है। थैलिक एनहाइड्राइड का प्रयोग थैलिक ईस्टर्स का उत्पादन करने में किया जाता है, जो प्लास्टीसाइजर के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती रसायन है। थैलिक एनहाइड्राइड को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप-शीर्ष संख्या 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4. **संक्षिप्त इतिहास :** इससे पहले, भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग इस आधार पर करते हुए कि थैलिक एनहाइड्राइड के बढ़ते आयातों से भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है या गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है, (1) मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु, (2) मैसर्स आई जी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड रायगढ़, महाराष्ट्र (3) मैसर्स मैसूर पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, रायचूर कर्नाटक द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली (जिसे एतदपश्चात "रक्षोपाय नियम" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत दायर एक आवेदन पत्र के संबंध में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने इससे पहले एक जांच शुरू की थी। इस तथ्य से संतुष्ट होते हुए कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, इसलिए 10 अगस्त, 2011 के जांच शुरूआत नोटिस के तहत थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच शुरू की गई थी और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित कर दिया गया था।

4.1 त्वरित जांच करने के पश्चात प्रारंभिक निष्कर्ष दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को जारी किए गए थे। केंद्र सरकार ने रक्षोपाय महानिदेशक की सिफारिशों के आधार पर 17 जनवरी, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2012-सीमा शुल्क (एस जी) के तहत 17 जनवरी, 2012 से 180 दिनों की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया था।

4.2 महानिदेशक (रक्षोपाय) ने 29 मार्च, 2012 को जी एस आर 263(ई) के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए थे और एक वर्ष की अवधि अर्थात 17.01.2012 से 16.01.2013 तक के लिए निर्णायक रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 29 मई, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 3/2012-सीयूएस (एसजी) के तहत एक वर्ष की अवधि अर्थात 17.01.2012 से 16.01.2013 तक के लिए 10 प्रतिशत की दर से निर्णायक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया था।

4.3 जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह रक्षोपाय शुल्क 16 जनवरी, 2013 तक लागू है। तथापि घरेलू उद्योग द्वारा यह आवेदन पत्र रक्षोपाय शुल्क समाप्त होने की तारीख से इसे दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने/निरंतर रखने के लिए यह उल्लेख करते हुए दायर किया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति या क्षति की चुनौती का समायोजन करने का प्रयास किया है परंतु यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जारी रहे।

5. **संवर्धित आयात** : भारत में थैलिक एनहाइड्राइड का कई देशों से आयात किया जाता है परंतु इसका आयात मुख्यत: कोरिया गणराज्य, इजरायल, ईरान, ताईवान और चीन से होता है। थैलिक एनहाइड्राइड के आयात घरेलू उत्पादन की तुलना में समग्र रूप से भारी मात्रा में होते रहे। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादन और आयातों का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा की इकाई		कुल आयात
2009-10	मी. टन		28098
2010-11	मी. टन		61241
2011-12 (पहली तिमाही)	मी. टन	9752	
2011-12 (दूसरी तिमाही)	मी. टन	12892	
2011-12 (तीसरी तिमाही)	मी. टन	7792	
2011-12 (चौथी तिमाही)	मी. टन	7983	
2011-12 (कुल)	मी. टन		38419
2012-13 (पहली तिमाही)	मी. टन	12907	
2012-13 (वार्षिक रूप में)	मी. टन		51628

(स्रोत : वर्ष 2009-10 से फरवरी 2012 तक के आंकड़े निदेशालय में डी जी सी आई एस से प्राप्त आंकड़े हैं और मार्च, 2012 से जून, 2012 तक के आंकड़े आवेदक द्वारा आई बी आई एस से उपलब्ध कराए गए हैं)

आयात जो वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 7983 मी. टन थे बढ़कर वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 12907 मी. टन हो गए। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि थैलिक एनहाइड्राइड के आयात भारी मात्रा में होना बना रहा। आयात जो वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही

में 7983 मी.ट. थे बढ़कर वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 12907 मी.टन हो गए जिससे 62% की वृद्धि हो प्रदर्शित होती है जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन के रुप में प्रतिशत आयात जो वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 13.54% थे, बढ़कर वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 23.64% हो गए

6. क्षति : आवेदकों ने दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने के लिए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की मौजूदगी एक पूर्वापेक्षा नहीं है। आवेदकों ने पुनः दावा किया है कि थैलिक एनहाइड्राइड के भारी मात्रा में सतत आयातों ने थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है या गंभीर क्षति की स्थिति उत्पन्न कर दी है जैसाकि अधोलिखित तथ्यों से संकेत मिलता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि अगर वर्तमान रक्षोपाय शुल्क को जारी नहीं रखा गया तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी :

क. उत्पादन :

वर्ष		इंडेक्स	मात्रा (मी. टन)
2009-10	पहली तिमाही	100	47985
	दूसरी तिमाही	121	58259
	तीसरी तिमाही	84	40437
	चौथी तिमाही	110	52853
कुल योग			**199534**
2010-11	पहली तिमाही	116	55503
	दूसरी तिमाही	121	58168
	तीसरी तिमाही	109	52319
	चौथी तिमाही	107	51271
कुल योग			**217261**
2011-12	पहली तिमाही	104	50124
	दूसरी तिमाही	107	51346
	तीसरी तिमाही	114	54736
	चौथी तिमाही	123	58918
कुल योग			**215124**
2012-13	पहली तिमाही	114	54576

यह देखा जा सकता है कि , घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 58918 मी. टन था घटकर वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 54576 मी. टन रह गया। यह

दर्शाता है कि इस उत्पाद पर दिनांक 17 जनवरी, 2012 से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद घरेलू उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

ख. *क्षमता उपयोग :*

वर्ष	तिमाही	क्षमता उपयोग
2009-10	पहली तिमाही	72
	दूसरी तिमाही	87
	तीसरी तिमाही	60
	चौथी तिमाही	79
2009-10 के लिए औसत		75
2010-11	पहली तिमाही	83
	दूसरी तिमाही	87
	तीसरी तिमाही	78
	चौथी तिमाही	76
2010-11 के लिए औसत		81
2011-12	पहली तिमाही	75
	दूसरी तिमाही	77
	तीसरी तिमाही	82
	चौथी तिमाही	88
2011-12 के लिए औसत		81
2012-13	पहली तिमाही	81

घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 88 प्रतिशत था वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में घटकर 81 प्रतिशत रह गया। अत:, इस अवधि के दौरान आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के बावजूद इसके क्षमता उपयोग में सुधार नहीं हुआ है।

ग. *घरेलू खपत में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा :*

		आयात (मी.टन)	उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री (मी.टन)	अन्य उत्पादकों की बिक्री (मी.टन)	भारत में खपत (मी.टन)	घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा
2009-10	पहली तिमाही	7240	35530	5930	48700	73%
	दूसरी तिमाही	5163	41289	5930	52382	79%
	तीसरी तिमाही	8526	39427	5930	53883	73%
	चौथी तिमाही	7169	40696	5930	53795	76%
कुल		**28098**	**156942**	**23720**	**208760**	**75%**

4069/1/12-2

2010-11	पहली तिमाही	23615	39817	5938	69370	57%
	दूसरी तिमाही	8611	51007	5938	65556	78%
	तीसरी तिमाही	18082	38941	5938	62961	62%
	चौथी तिमाही	10933	44553	5938	61424	73%
कुल		**61241**	**174318**	**23752**	**259311**	**67%**
2011-12	पहली तिमाही	9752	38149	7659	55560	69%
	दूसरी तिमाही	12892	46947	7659	67498	70%
	तीसरी तिमाही	7792	42886	7659	58337	74%
	चौथी तिमाही	7983	49748	7659	65390	76%
कुल		**38419**	**177730**	**30636**	**246785**	**72%**
2012-13	पहली तिमाही	12907	46884	7367	67158	70%

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का हिस्सा (वर्ष 2009-10 के) 75 प्रतिशत से घटकर (वर्ष 2010-11 में) 67 प्रतिशत रह गया और तत्पश्चात इसमें फिर (वर्ष 2011-12 में) वृद्धि हुई और 72 प्रतिशत हो गया। घरेलू खपत में थैलिक एनहाइड्राइड का हिस्सा जो वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 76 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 70 प्रतिशत रह गया।

घ. *लाभ/हानि :* घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2010-11 में तीव्र गिरावट आई और फिर इसमें 2011-12 में इस हद तक गिरावट आई कि इन वर्षों में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ। तथापि घरेलू उद्योग की लाभ प्रदायकता में वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में फिर सुधार हुआ। यह अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है।

	लाख रुपयों में
वित्त वर्ष	**लाभ (सूचीबद्ध)**
2009-10	100
2010-11	-39
2011-12	-177
2012-13 (पहली तिमाही)	47

घरेलू उद्योग का लाभ जो वर्ष 2009-10 में 100 (सूचीबद्ध) था, से घटकर वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 47 (सूचीबद्ध) हो गया। इस बीच, घरेलू उद्योग को वर्ष 2010-11 में 39 (सूचीबद्ध) का नुकसान सहन करना पड़ा जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 177 (सूचीबद्ध) हो गया, इसमें एक वह तिमाही भी शामिल है जब रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित था।

ङ.) मालसूची :

वर्ष		(सूचीबद्ध)	मात्रा (मी. टन)
2009-10	पहली तिमाही	100	1604
	दूसरी तिमाही	380	6101
	तीसरी तिमाही	30	487
	चौथी तिमाही	282	4530
2010-11	पहली तिमाही	279	4468
	दूसरी तिमाही	155	2484
	तीसरी तिमाही	576	9232
	चौथी तिमाही	456	5718
2011-12	पहली तिमाही	507	8131
	दूसरी तिमाही	235	3774
	तीसरी तिमाही	58	932
	चौथी तिमाही	223	3579
2012-13	पहली तिमाही	273	4381

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मालसूची जो वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में 932 मी. टन थी वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में बढ़कर 4381 मी. टन हो गई।

7. आवेदन पत्र की जांच की गई और यह पाया गया कि 17 जनवरी, 2012 से 10% की दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किये जाने के बावजूद थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) के संवर्धित आयातों के कारण थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को प्रथम दृष्टया गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो रही है तथा आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति हुई है। तद्नुसार, थैलिक एनहाइड्राइड पर रक्षोपाय शुल्क जारी रखने/उसका समय बढ़ाने के लिए, इस नोटिस के जरिए एक समीक्षा जांच शुरु करने का निश्चय किया गया है।

8. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने विचार निम्नलिखित पते पर प्रेषित कर सकते हैं :

महानिदेशक (रक्षोपाय)
भाई वीर सिंह साहित्य सदन
द्वितीय तल, भाई वीर सिंह मार्ग,
गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001
टेलीफैक्स : 011-23741542/23741537
ई-मेल : dgsafeguards@nic.in

9. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी अलग से लिखा जा रहा है।

10. इस जांच से संबंधित कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो यह चाहता है कि उसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए, अपना अनुरोध इस तरह भेज सकता है कि वह महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास उपर्युक्त पते पर इस नोटिस की तारीख से 21 दिनों के अंदर पहुंच जाए।

[फा. सं. डी-22011/14/2012]

इन्द्राणी दत्त मजूमदार, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 26th October, 2012

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub: Review of safeguard Duty on imports of Phthalic Anhydride(PAN) into India under provisions of Section 8B(4) of Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 16 and Rule 18 of Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty)Rules, 1997 --regarding

G.S.R. 793(E).—An application for review and extension of safeguard duty has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Thirumalai Chemicals Ltd., Ranipet, Tamilnadu, M/s. IG Petrochemicals Ltd., Raigad, Maharashtra, M/s. Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur, Karnataka for continuation/extension of Safeguard Duty on imports of Phthalic Anhydride(PAN) into India after expiry of the existing safeguard duty to protect the domestic producers of Phthalic Anhydride(PAN) against serious injury caused by the increased imports of Phthalic Anhydride(PAN) into India.

2. **Domestic Industry**: The application dated 7th September, 2012 has been filed by M/s Thirumalai Chemicals Ltd., Ranipet, Tamilnadu, M/s. IG Petrochemicals Ltd., Raigad, Maharashtra, M/s. Mysore Petrochemicals Ltd., Raichur, Karnataka for continuation/extension of Safeguard Duty on imports of Phthalic Anhydride(PAN). The application has been made by three of the five domestic producers of Phthalic Anhydride(PAN) in India accounting for 88% of the total production.

3. **Product Involved**: The product under consideration is Phthalic Anhydride. It is an anhydride of Phthalic Acid, and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho- xylene or Naphthalene. It is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. The product is produced only in one grade, though, it may be consumed as a solid or liquid in processes it is used. As regards different applications, it does not have distinguishable different types or forms. Further, it is used in production process of various chemicals, which use the same characteristic properties of Phthalic Anhydride. Phthalic Anhydride is used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers. It is an important chemical intermediate in plastic industry. Phthalic Anhydride is classified under Customs sub-heading No. 29173500 under the Customs Tariff Act, 1975

4. **Brief history**: An investigation was initiated by the DG (safeguards) earlier on the application filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by (1) M/s. Thirumalai Chemicals Ltd, Ranipet Tamilnadu, (2) M/s. IG Petrochemicals Ltd Raigad Maharashtra, (3) M/s. Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur Karnataka, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of

Phthalic Anhydride into India alleging that increased imports of Phthalic Anhydride was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of Phthalic Anhydride in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 of Safeguard Rules ibid were met, safeguard investigation against imports of Phthalic Anhydride was initiated vide notice of initiation dated 10th August, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.

4.1 After expeditious conduct of investigation preliminary findings were issued on 23rd September, 2011. Central Government levied provisional safeguard duty for a period of 180 days at the rate of 10% with effect from 17th January 2012 vide customs notification No.1/2012-Cus(SG) dated 17th January 2012 based on the recommendation of DG Safeguard.

4.2 Director General (Safeguard) issued Final Findings G.S.R. 263(E), dated the 29th March, 2012, recommending definitive Safeguard duty for a period of one year, i.e. from 17-01-2012 to 16-01-2013. The Central Government imposed definitive Safeguard duty for one year @ 10% from 17.01.2012 to 16.01.2013 vide customs notification No 3/2012-Cus(SG) dated 29th May, 2012.

4.3 As mentioned above, the safeguard duty is in vogue till 16th January, 2013. However, the instant application has been filed by the domestic industry for continuation/extension of safeguard duty for a further period of one year from the date of expiry of existing duty, with the purpose to enable the domestic industry to improve its competitiveness in order to survive.

5. Increased Imports: Phthalic Anhydride is imported into India from a number of countries, and primarily from Republic of Korea, Israel, Iran, Taiwan, China and Russia. The imports of Phthalic Anhydride have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the domestic production. The imports and domestic production of Phthalic Anhydride during 2009-10 to Q1 of 2012-13 remained as under:

Year	Unit of quantity		Total Imports
2009-10	MT		28098
2010-11	MT		61241
2011-12 (Q 1)	MT	9752	
2011-12 (Q2)	MT	12892	
2011-12 (Q3)	MT	7792	
2011-12(Q4)	MT	7983	
2011-12 (Total)	MT		38419
2012-13 (Q 1)	MT	12907	
2012-13(Annualized)	MT		51628

(Source : Figures from 2009-10 to Feb 2012 are from DGCIS data received in the Directorate and from March 2012 to June 2012 are from IBIS as provided by the applicant)

The Imports have increased from 7983 MT in Q4 of 2011-12 to 12907 MT in Q1 of 2012-13 which shows an increase of 62% which is phenomenal. Further, imports as a percentage to domestic production have increased from 13.54% in Q4 of 2011-12 to 23.64% in Q1 of 2012-13.

6. Injury: The applicant have claimed that the increased imports of Phthalic Anhydride have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Phthalic Anhydride as indicated by the following factors:

4069 GI/12-3

a) *Production*:

YEAR		Index	QTY(MT)
2009-10	Q1	100	47985
	Q2	121	58259
	Q3	84	40437
	Q4	110	52853
TOTAL			**199534**
2010-11	Q1	116	55503
	Q2	121	58168
	Q3	109	52319
	Q4	107	51271
TOTAL			**217261**
2011-12	Q1	104	50124
	Q2	107	51346
	Q3	114	54736
	Q4	123	58918
TOTAL			**215124**
2012-13	Q1	114	54576

It is seen that production of domestic industry has fallen to 54576 MT in Q1 of 2012-13 from 58918 MT in Q4 of 2011-12. This shows that domestic production has shown a downward trend in first quarter of 2012-13, despite imposition of safeguard duty on the product wef 17 Jan 2012.

b) *Capacity Utilization*:

YEAR	Quarter	Capacity utilized(%)
2009-10	Q1	72
	Q2	87
	Q3	60
	Q4	79
Average for 2009-10		**75**
2010-11	Q1	83
	Q2	87
	Q3	78
	Q4	76
Average for 2010-11		**81**
2011-12	Q1	75
	Q2	77
	Q3	82
	Q4	88
Average for 2011-12		**81**
2012-13	Q1	81

Capacity utilization of the Domestic Industry has fallen to 81% in Q1 of 2012-13 from the preceding quarter Q4 of 2011-12 when it was 88%. Therefore, despite levy of safeguard duty on imports during this period, the capacity utilization has not improved.

c) *Share of domestic producers in domestic consumption*:

		Imports (MT)	Domestic Sales by Industry (MT)	Sale of other producers(MT)	Consumption in India (MT)	Market share of DI
2009-10	Q1	7240	35530	5930	48700	73%
	Q2	5163	41289	5930	52382	79%
	Q3	8526	39427	5930	53883	73%
	Q4	7169	40696	5930	53795	76%
TOTAL		**28098**	**156942**	**23720**	**208760**	**75%**
2010-11	Q1	23615	39817	5938	69370	57%
	Q2	8611	51007	5938	65556	78%
	Q3	18082	38941	5938	62961	62%
	Q4	10933	44553	5938	61424	73%
TOTAL		**61241**	**174318**	**23752**	**259311**	**67%**
2011-12	Q1	9752	38149	7659	55560	69%
	Q2	12892	46947	7659	67498	70%
	Q3	7792	42886	7659	58337	74%
	Q4	7983	49748	7659	65390	76%
TOTAL		**38419**	**177730**	**30636**	**246785**	**72%**
2012-13	Q1	12907	46884	7367	67158	70%

From the above table, it is evident that the share of domestic industry in domestic consumption of Phthalic Anhydride has fallen to 67% in 2010-11 from 75% in 2009-10. It has slightly increased to 72% in 2011-12, but still less than the base year 2009-10. Further, it has declined to 70% in Q1 of 2012-13 from 76% in Q4 of 2011-12.

d) *Profit/loss* – the profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

Financial Year	Profitability(Indexed)
2009-10	100
2010-11	-39
2011-12	-177
2012-13 (Q1)	47

Profit of DI have fallen to 47(Indexed) in 2012-13 Q1 from 100(Indexed) in 2009-10. In between, the DI has suffered losses of 39(Indexed) in 2010-11 which mounted to 177(indexed) in 2011-12, which includes a quarter when safeguard duty was leviable.

e) Inventories –

YEAR		Index	QTY(MT)
2009-10	Q1	100	1604
	Q2	380	6101
	Q3	30	487
	Q4	282	4530
2010-11	Q1	279	4468
	Q2	155	2484
	Q3	576	9232
	Q4	356	5718
2011-12	Q1	507	8131
	Q2	235	3774
	Q3	58	932
	Q4	223	3579
2012-13	Q1	273	4381

From the table above, it is evident that inventories have increased to 4381 MT in Q1 of 2012-13 from 932 MT in Q3 of 2011-12.

7. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of PAN (Phthalic Anhydride) have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of PAN despite levy of safeguard duty to the extent of 10% wef 17 January 2012 and such increase in imports has caused irreparable damage to the domestic industry.Accordingly, it has been decided to initiate a review investigation through this notice, for continuation/extension of safeguard duty on Phthalic Anhydride.

8. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

9. All known interested parties are also being addressed separately.

10. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 21 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/14/2012]

INDRANI DUTT MAJUMDER, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.